



# Form 1

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to  
maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

## Continuous Khatian

Anchal- गोविन्दपुर Rev.P.S- गोविन्दपुर State of- झारखण्ड Police Station- गोविन्दपुर R.T.No 126 Khata  
Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
91	मन्दु मोदक, पिता-सुखदेव मोदक, जाति- एवं फटिक मोदक वो सुधीर मोदक, पिता- नेवारन मोदक, जाति-	596		0 ऐ	8 डि	0 हे	0		1 / 90
		597		0 ऐ	39 डि	0 हे			
		598		0 ऐ	22 डि	0 हे			
		600		0 ऐ	12 डि	0 हे			
		601		0 ऐ	19.11 डि	1 हे			
		604		0 ऐ	35.05 डि	0 हे			
		605		0 ऐ	75 डि	0 हे			
		621		0 ऐ	3.19 डि	1 हे			
91	श्री अरविन्द कुमार सिंह, पिता-श्री सत्य राम सिंह, जाति-	605		0 ऐ	2 कठा	0 हे	1	दा0 खा0 मु0 स0 908(6) 2007-08 के आदेशानुसार ज0 स0 35 से आया	1 / 184
91	श्री राम नरेश प्रसाद, पिता-प्रयाग प्रसाद, जाति-	598,597		0 ऐ	0 डि	0 हे	4	दा0 खा0 मु0 स0 2094(6) 2015-16 के आदेशानुसार ज0 स0 545 से आया	1 / 274
91	श्री गोपाल प्र0 श्रीवास्तव, पिता-स्व0 भानु प्रकाश श्रीवास्तव, जाति-	598,597		0 ऐ	0 डि	0 हे	4	दा0 खा0 मु0 स0 2095(6) 2015-16 के आदेशानुसार ज0 स0 347 से आया	1 / 275

Sudha Mishra

Ram Nath Mishra

Manish Kumar

	पिता-SHAKTI NATH SINGH, जाति- ---		0 ऐ	डि	0 हे		नामान्तरण मु - 2022	
91	KUMARI HEMLATA, पति-SUJIT PRASAD, जाति- ---	604	0 ऐ	0.39 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या - 2022	
91	SRI SUMIT KUMAR GHOSH, पिता-SUNIL KUMAR GHOSH, जाति- ---	604	0 ऐ	0.51 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 14696/20 - 2022	
91	JAGAT JYOTI BURMAN, पिता-LATE KRISHNA MONGAL BURMAN, जाति-	621	0 ऐ	4.74 डि	0 हे	6	नामान्तरण मुकदमा संख्या 14646/2021 - 2022	5 / 65
91	RAM NATH MISHRA, पिता-LATE SHIBADHAR MISHRA, जाति- ब्राह्मण	601 621	0 ऐ 0 ऐ	1.78 डि 2.96 डि	0 हे 0 हे	2	नामान्तरण मुकदमा संख्या 19973/2021 - 2022	6 / 46
91	ROHIT KUMAR, पिता-LATE JWALA PRASAD SINHA, जाति- ---	604	0 ऐ	0.34 डि	0 हे	2	नामान्तरण मुकदमा संख्या 18653/2021 - 2022	6 / 50

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

4/27/2022

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।